

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री सुनील पंवार (आर.ए.एस.)

प्रसो - 30/2020

उपनाम

- 1 कंचन पत्नि रामकिशन माली उम्र वयस्क निवासी अरणिया चौहान तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज. \_\_\_\_\_ (प्रार्थी)

बनाम

1. भवानी सिंह पिता शम्भूसिंह चौहान उम्र वयस्क निवासी अरणिया चौहान तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
2. तख्तासिंह पिता लाल सिंह चौहान उम्र वयस्क निवासी अरणिया चौहान तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
3. पुष्पा कंवर पत्नि केसर सिंह चौहान राजपूत उम्र वयस्क निवासी अरणिया चौहान तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
4. भूरा पिता रूपा माली उम्र वयस्क निवासी अरणिया चौहान तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज. \_\_\_\_\_ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री चावण्ड सिंह

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 16.12.2020


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 10.06.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अरणिया चौहान पटवार मण्डल ईटडिया भू0अ0नि0 अरवड तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 14 के आ0न0 604/658, 732/605 किता 2 रकबा 1.49 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 16.12.2020 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरणिया चौहान पटवार मण्डल ईटडिया भू0अ0नि0 अरवड तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 14 के आ0न0 604/658, 732/605 किता 2 रकबा 1.49 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियांन को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सुनील पंवार  
उपखण्ड अधिकारी  
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा